

पचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 231/2025

1. गुरमेल सिंह पुत्र मखनसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. रिछपाल पुत्र मखनसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
3. सुखवन्त सिंह पुत्र मखनसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
4. मंगीकौर पत्नी आत्माराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
5. भीरां कौर पत्नी सोहनसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
6. सुखविन्द्र कौर पत्नी मनदीप सिंह जाति बावरी निवासी जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
7. विमला पुत्री गुरबचनसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
8. गुरमीत पुत्र गुरबचनसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
9. सोनू पुत्र गुरबचनसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
10. मलकीत सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम्

1. गुरदेव सिंह पुत्र धारासिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण


दिनांक 16/1/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील भंवरलाल गौड अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. कि क. वादीगण सं० 1 ता 5 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकन० 4 सीडीआर के प०न० 229/226 मु० 17 किलानं० 20,21/506, प०न० 228/226 मु० 18 किलानं० 16/1/.127 पूर्वी दिशा, 16/2/025, 25 /1/127 पूर्वी दिशा, 25/2/025 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 228/ 227 मु० 23 किलानं० 7/.253, चकन० 4 सीडीआर के खाता सं० 157/150 मे से धारासिंह के हिस्सा में से 127 है० ख. वादी सं० 6 ता 10 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकन० 4 सीडीआर के प०न० 228 /226 मु० 18 किलानं० 16/101 पश्चिमी दिशा, 24/253, 25 /101 पश्चिमी दिशा, चकन० 4 सीडीआर के खाता सं० 157/150 में धारासिंह के हिस्सा में से 063 है० ब०हि०ब०

उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी

ग. प्रतिवादी सं० १ प्राप्त आराजी- चकनं० ४ सीडीआर के प्लॉट २२९/२२७ मु० २  
 किला नं० १/१/२२८, १/२/०२५, २/१/२२८, २/२/०२५ है०, चकनं० ४ सी.डी. आर.  
 के खाता सं० १५७/१५० में से धारासिंह के हिस्सा में से .०६३ है० भूमि  
 इ. चकनं० ८ केएचआर के खाता सं० २०३/६९ में अंकित कुल ०.७५९ है० में से प्रतिवादी  
 सं० १ गुरबचनसिंह को १/२ हिस्सा व वादीगण सं० ६ ता १० को १/२ हिस्सा ब०हि०ब०,  
 चकनं० ६ केएचआर के खाता सं० ६१/६१ में अंकित कुल ०.२५३ है० में प्रतिवादी सं०  
 १ का १/२ हिस्सा, वादी सं० ६ ता १० को १/२ हिस्सा ब०हि०ब०  
 च. चकनं० ९ केएचआर के खाता सं० २९/२६ में अंकित कुल ०.२५३ है० में से गुरबचन  
 सिंह के १/२ हिस्सा के वादीगण सं० ६ ता १० ब०हि०ब०, चकनं० ६ केएचआर के खाता  
 सं० ३३/३२ में अंकित कुल ०.२४० है० में से बचनसिंह पुत्र हजारासिंह का १/२ हिस्सा  
 के वादीगण सं० ६ ता १० ब०हि०ब०, इसी चक के खाता सं० ३२/३३ में अंकित कुल ०.  
 ०६३ है० में से बचनसिंह पुत्र धारासिंह का १/२ हिस्सा, चकनं० ९ केएचआर के खाता  
 सं० १७७/२५ में अंकित कुल २.५०५ है० आराजी में से बचनसिंह पुत्र हजारासिंह का  
 २५३/१००२ हिस्सा के वादीगण सं० ६ ता १० ब०हि०ब०, चक नं० ८ केएचआर के खाता  
 सं० ४४/४१ में अंकित कुल २.१३८४ हिस्सा में से बचनसिंह के ५५६९/२१३८४ हिस्सा के  
 वादीगण सं० ६ ता १० ब०हि०ब०, इसी अनुसार रिकार्ड में अकन करवाकर चकनं० ४  
 सीडीआर के खाता सं० ७८/७९ में से गुरबचनसिंह, प्रीतो, भूपेन्द्र कौर, व इसी चक के  
 खाता सं० १५७/१५० में से धारासिंह का नाम कलमजन, चक नं० ६ केएचआर के खाता  
 सं० ३३/३२ में से बचनसिंह का नाम कलमजन, चक नं० ६ केएचआर के खाता सं०  
 ३२/३३ में से बचनसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० ६१/६१ में से  
 धारासिंह का नाम कलमजन, चकनं० ८ केएचआर के खाता सं० ४४/४१ में से बचनसिंह  
 का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० २०३/६९ में से गुरमेल सिंह, प्रीतो, मंगी,  
 मीरां रिछपाल सिंह व सुखासिंह का नाम कलमजन, चकनं० ९ केएचआर के खाता सं०  
 १७७/२५ में से बचनसिंह का नाम कलमजन तथा चकनं० ९ केएचआर के खाता सं०  
 २९/२६ में से गुरबचनसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है  
 तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है  
 तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि  
 किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल  
 दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।  
 यह पर्व डिफ्री आज दिनांक १६/११/१८ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से  
 जारी की गई।

  
 (अ. न्यायालयिका एव  
 उपस्थित अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।